''मलिन बस्ती की युवा महिलाएँ एवं अपराध''
(एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)

डॉ० अनिता कुमारी*

वर्तमान युग में व्यक्तिगत अपराधों की संख्या के साथ–साथ संगठित अपराधों की संख्या भी निरन्तर बढ़ती जा रही है। संगठित अपराधों व इसमें संलग्न अपराधियों के गिरोहों का पता लगाना व उन्हें पकड़ना पुलिस के लिए अत्यन्त कठिन व चुनौती से भरा हुआ कार्य है। आज आश्चर्यजनक बात यह है कि ऐसी महिला अपराधियों का प्रतिशत अधिक है जो अपने ही लिंग के प्रति अपराध (जैसे महिलाओं वह लड़कियों का अपहरण, मादक द्रव्यों की तस्करी अनैतिक व्यापार आदि) के कारण पकड़ी जाती हैं। ये महिलाएँ भारतीय दण्ड संहिता के उल्लंघन की अपेक्षा स्थानीय व विशिष्ट कानूनों के उल्लंघन के कारण अधिक पकड़ी जाती है।

वर्तमान समय में अपराध में संगठन के स्तर पर अधिक हो रहे हैं जिसका मुख्य केन्द्र मलिन बस्तियाँ बन रही हैं। वास्तव में अन्य व्यापारिक संगठनों की तरह अपराधी अपने कार्यों को सुनियोजित रूप से करने हेतु मलिन बस्ती में स्वयं को गिरोह के रूप में संगठित रूप से जुआखोरी, वेश्यावृत्ति का व्यवसाय, शराब व अन्य मादक द्रव्यों को बेचने का व्यवसाय आदि ऐसे अपराध हैं जो मलिन बस्तियों में संगठित गिरोहों द्वारा बड़े सुनियोजित रूप से किये जाते हैं। संगठित अपराध वे अपराध है जिसको बहुत से व्यक्ति सामूहिक रूप से कार्यान्वित करते हैं। कई बार अपराध संगठित रूप से नहीं किया जाता, परन्तु ये परिवार महिलाओं, अभावों से ग्रस्त मलिन बस्ती की महिलाओं या अन्य किसी के साथ लेकर किया जाता है। इन अपराधों के प्रति पुलिस की भूमिका अत्यन्त संदिग्ध प्रकार की होती है, क्योंकि प्रायः ऐसा देख जाता है कि अपराधों के सम्पादन में पुलिस की मौन स्वीकृति होती है। कहीं पुलिस इन अपराधों के प्रति उदासीन बनी रहती है तो कहीं पुलिस पर 'ऊपर का दबाव' होता है तो कहीं पुलिस की आय का साधन भी ये अपराध बन जाते हैं।

अध्ययन का उद्देश्य :

(1) मलिन बस्तियों में अपराध को प्रोत्साहित करने में पितृसत्तात्मक भूमिका का अध्ययन करना।

(2) महिलाओं में अपराध के प्रति उन्मुखता का अध्ययन करना।

(3) गंदी बस्तियों के महिलाओं में यौन शोषण का अध्ययन करना।

***एम० ए०, पी–एच० डी० (समाजशास्त्र ग्राम–भातु बिगहा पो०–एकंगरसराय (नालंदा)**

(4) महिलाओं को यौनिक शोषण के प्रारूपों की चर्चा करना।

उपकल्पनाएँ :

(1) महिलाओं में अपराध को बढ़ावा देने में पितृसत्तात्मक व्यवस्था उत्तरदाय है।

(2) गंदी बस्ती की महिलाएँ अपराध में अभिरूची रखती है।

(3) गंदी बस्ती की महिलाओं का यौन शोषण अपराध के लिए उत्तरदायी है।

अध्ययन का क्षेत्र :–प्रस्तुत अध्ययन के लिए पटना नगर के गंदी बस्तियों का चयन किया ।

अध्ययन की प्रविधि :–प्राथमिक आंकड़ों का संकनन करने के लिए अनुसूची प्रविधि का निर्माण किया गया।

निदर्श :–अध्ययन क्षेत्र के मलिन बस्तियाँ से 300 युवा महिलाओं का चयन किया गया। तथ्य संकलन के स्त्रोत तथ्यों का संकलन प्राथमिक एवं द्वितियक स्त्रोतों से किया गया।

प्रदत्त तथ्यों का विश्लेषण– वर्तमान पारिवारिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक प्रकार की है। पुरुषों का वर्चस्व और आधिपत्य प्रत्येक वर्ग–उच्च, मध्यम या निम्न सभी में प्रमाणित है। पुरुषों की नकारात्मक प्रवृत्तियाँ भी परिवार में वैसे ही प्रभावी रहती हैं जैसे उनके गुण। जब पुरुष परिवार की सम्यक् आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता और स्वयं की आवश्यकता पूर्ति भी महिला द्वारा ही पूर्ण करवाना चाहता है। (ऐसा अनेकानेक मलिन बस्तियों में देखने को मिलती है जहाँ पुरुष घर के अन्दर बड़ा रहता है और महिलाएँ घन से बाहर अर्थोपार्जन में प्रयासरत रहती हैं।) तब महिलाएँ स्वतः ही ऐसे कार्यो में संलग्न हो जाती हैं जहाँ कम परिश्रम व ज्यादा धन की प्राप्ति हो जाती है, वह तरीका भले ही समाज विरोधी क्यों न हो?

आंकड़ों से स्वतः ही परिलक्षित होता है कि 41.00 प्रतिशत महिलाएँ अपराध इसलिए करती हैं कि वे पुरुषों की सत्ता के अधीन रहती हैं, पुरुष अपने घर में महिला को अपराधजन्य कार्य करने के लिए बाध्य करता है। वह या तो अपने साथ अपराध में महिला को भी जोड़े रहता है अथवा स्वतंत्र रूप से कार्य करने की भी अनुमति दे देता है। कई प्रकार के अपराध महिलाओं द्वारा सम्पादित किये जाने से 'सुरक्षा' अपेक्षाकृत अधिक बनी रहती है जैसे मादक द्रव्यों को स्थान–स्थान पर पहुँचाना। यौन शोषण में संलग्न रहना, चोरी में 'माल' की हिफ़ाजत, साथ ही पुलिस से 'डीलिंग'।

यह तथ्य यद्यपि कुछ स्तरों पर असम्भव प्रतीत सकते हैं, किन्तु मलिन बस्तियों के जनजीवन में जब आन्तरिक रूप से घुसपैठ की जाय तो ऐसे कटु यथार्थ सामने आते हैं। ऐसे अनेक परिवार देखने को मिलते हैं जहाँ उत्तरदायित्वों का वहन महिलाएँ ही करती हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में स्त्री के सामने कार्यों की नैतिकता का कोई मानक नहीं रह जाता और अन्ततः वह अपराधिक प्रवृति की ओर अग्रसर हो जाती हैं।

सारिणी संख्या – 5.1
महिलाओं में अपराध को बढ़ावा देने में परिवार की पितृसत्तात्मक भूमिका का रचनात्मक योगदान

पितृसत्तात्मक भूमिका का योगदान	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	123	41.00
नहीं	112	37.33
मैं नहीं जानती	65	21.67
योग	300	100.00

पितृसत्तात्मक पारिवारिक व्यवस्था में महिलाओं द्वारा किये जाने वाले अपराधों के पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारणों का होना स्वाभाविक है। जिन उत्तरदाताओं ने इस तथ्य को स्वीकृति प्रदान की है, उनके विचार निम्नांकित तालिका (5.2) में प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

1. आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि पति द्वारा पारिवारिक दायित्वों का समुचित रूप से निर्वहन नहीं करने के कारण 41.00 प्रतिशत महिलाएँ अपराधजन्य कृत्य करने लगती हैं। 36.67 प्रतिशत महिलाएँ पति के मादक पदार्थों में लिप्त रहने के कारण अपराधिक कार्यों की ओर उन्मुख हो जाती हैं। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि पति शराब आदि के नशे में लिप्त रहकर परिवार की जरुरतों की ओर ध्यान नहीं देता, साथ ही अपने अहम् की सन्तुष्टि वह मार–पीट, गाली–गलौज से भी करता रहता है। ऐसी स्थिति में अजीविका के साधन को जुटाने में स्त्रियों का

सारिणी संख्या – 5.2
यदि हाँ तो सम्बन्धित कारकों का उल्लेख

कारक	आवृति	प्रतिशत
पति द्वारा दायित्वों का समुचित वहन नहीं करना	123	41.00
पति के मादक द्रव्य व्यसन में लिप्त रहना आय से अधिक व्यय की प्रवृति	110	36.67
	67	22.33
योग	300	100.00

मुखर होना ही पड़ता है। साथ ही मलिन बस्ती में यह भी प्रवृत्ति बहुतायत से देखने को मिली कि जो मलिन बस्तियाँ शहर के मध्य में स्थित हैं, वहाँ उच्च जीवन स्तर के प्रति 'ललक' के बने रहने के कारण मनोवैज्ञानिक रूप से इसका प्रभाव बस्ती के जनजीवन पर पड़ता है। परिणामस्वरूप अपने जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए वे अपनी आय से अधिक व्यय करने लगते हैं। इस तथ्य का समर्थन 22.33 प्रतिशत उत्तरदातसओं ने किया है।

महिलाओं की अपराध की ओर उन्मुखता– मलिन बस्ती में अपराध अधिकांशतः परिस्थितिजन्य होता है, किन्तु ऐसा भी द्रष्टव्य होता है कि परिस्थितियों से प्रभावित

होकर अपराध करते हुए कई बार महिलाओं कि अभिरूचि भी प्रभावित होने लगती है और महिलाएँ अपनी रूचि और शौक से भी अपराध करने लग जाती हैं।

मलिन बस्तियों में सामान्य रूप से यह भी देखा गया कि महिलाएँ अपनी रूचि से भी अपराधों में संलग्न रहती हैं जिसकी पुष्टि 35.67 प्रतिशत उत्तदाता अपने समर्थन से कर रही हैं। सर्वाधिक प्रतिशत 42.33 प्रतिशत ऐसी महिलाओं का है जो यह मानती है कि अपराध के प्रति उनकी कोई अभिरुचि नहीं है, जबकि 22.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का विचार तटस्थ प्रकार का है जिन्होंने कहा 'मैं नहीं जानती'। यद्यपि सर्वाधिक महिलाएँ यह स्वीकार करती हैं कि उनकी कोई अभिरुचि अपराध की ओर नहीं है, किन्तु 35.67 प्रतिशत स्वीकृति देने वाली महिलाओं के साथ 22.00 प्रतिशत महिलाएँ जो स्पष्ट उत्तर नहीं दे रही हैं उनके व्यवहारों से यह प्रतीत होता है कि उनका समर्थन 35.67 प्रतिशत वाली महिलाओं के साथ ही है। जो जीविकोपार्जन का साधन जुटाने के लिए 'सरलतम् तरीका' विभिन्न प्रकार के अपराधों में प्रवृत्ति हो जाती हैं।

सारिणी संख्या – 5.3
महिलाओं में अपराध के प्रति बढ़ती अभिरुचि

अभिरुचि	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	107	35.67
नहीं	127	42.33
मै नहीं जानती	66	22.00
योग	300	100.00

उपरोक्त तथ्यों को उत्तरदाताओं के शैक्षणिक स्तर के साथ अन्तर्सम्बन्धित करके देखने का भी प्रयास किया गया है जिसमें आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि अध्ययन में 122 उत्तरदाता अशिक्षित हैं जिसमें 47 उत्तरदाता 'हाँ' मानते हैं, 68 उत्तरदाता 'नहीं' मानते हैं तथा 7 अशिक्षित उत्तरदाताओं को जानकारी नही है कि महिलाओं में अपराध के प्रति अभिरुचि बढ़ रही है अथवा नहीं। अध्ययन में 126 उत्तरदाता प्राथमिक स्तर के शिक्षित हैं जिसमें 48 उत्तरदाता 'हाँ' मानते हैं, 53 उत्तरदाता 'नहीं' मानते हैं तथा 25 प्राथमिक स्तर के शिक्षित उत्तरदाताओं को जानकारी नहीं है कि महिलाओं में अपराध के प्रति बढ़ती अभिरुचि का क्या स्वरुप है। अध्ययन में 43 उत्तरदाता मिडिल स्तर के शिक्षित हैं जिनमें 8 उत्तरदाता मानते हैं, 'हाँ' मानते हैं। 4 उत्तरदाता 'नहीं' मानते हैं तथा 31 मिडिल स्तर के शिक्षित उत्तरदाताओं को जानकारी नहीं है कि महिलाओं में अपराध के प्रति अभिरुचि का क्या स्तर है। अध्ययन में 9 मिडिल से अधिक शिक्षित उत्तरदाता है, जिसमें 4 मिडिल स्तर के उत्तरदाता 'हाँ' मानते हैं, दो नहीं मानते हैं तथा 3 मिडिल से अधिक उत्तरदाताओं को जानकारी नहीं है कि महिलाओं में अपराध के प्रति बढ़ती अभिरुचि है अथवा नहीं।

सारिणी संख्या – 5.4

महिलाओं में अपराध के प्रति बढ़ती अभिरुचि एवं उनका शैक्षिक स्तर

शैक्षिक	हाँ	नहीं	मैं नहीं जानता	योग / प्रतिशत
अशिक्षित	47	68	7	122 (40.67)
प्राथमिक	48	53	25	126 (42.00)
मिडिल	8	4	31	43 (14.33)
मिडल से अधिक	4	2	3	9 (3.00)
योग (प्रतिशत)	107(35.67)	127 (42.33)	66 (22.00)	300 (100.00)

$x^2 = 79\text{-}662$ df = 6

5% सार्थकता स्तर पर सारिणी मूल्य = 12.592

परिगणित मूल्य > सारिणी मूल्य। अतः चारों में सार्थक सम्बन्ध है।

जिन उत्तरदाताओं ने अपराधों के प्रति अभिरुचि को स्वीकार किया हैं, क्योंकि महिलाओं की अपराधों के प्रति अभिरुचि पितष्सत्तात्मक व्यवस्था में एक 'एक विषिश्ट तथ्य' माना जा सकता है। सम्बन्धित आंकड़ें निम्नवत् प्रस्तुत किये जा रहे हैं–

आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि 60% महिलाएँ अर्थोपार्जन के लिए अपराधों के प्रति अपनी अभिरुचि बताती है। 20% महिलाएँ उच्च जीवन स्तर प्राप्त करने के लिए सचेश्ट रहती है। इस कारण अपराधों के प्रति अभिरुचि रखती हैं। 16% महिलाएँ अपने विभिन्न प्रकार के षौक को पूर्ण करने के लिए अपराध के प्रति अपनी अभिरुचि रखती हैं। आंकड़ों के विश्लेषण से यह निश्कर्श निकलता है कि महिलाएँ अपने परिवार की आवष्यकता पूर्ति के प्रति अधिक चिन्तायुक्त रहती हैं। अभावों के जीवन में जब कम परिश्रम में अधिक लाभ उन्हें अपराध करके प्राप्त होता है तो वे बिना किसी नैतिकता–अनैतिकता के चक्र में बँधे हुए केवल अर्थिक प्राप्ति में लग जाती है जिसके परिणामस्वरूप अपराध उनकी रुचि बन जाता है।

सारिणी संख्या – 5.5

यदि हाँ तो क्यों

कारक	आवृत्ति	प्रतिशत
उच्च जीवन स्तर के लिए	60	20.00
अर्थोपार्जन के लिए	180	60.00
अपने शौक पूर्ण करने के लिए	48	16.00
अन्य	12	4
योग	300	100.00

महिलाओं का यौन शोषण – महिलाओं के शोषण के अनेक तरीकों में से यौन–शोषण सबसे प्रमुख और मजबूरी का फायदा उठाने का सबसे सरल साधन है। मलिन बस्ती में महिलाओं को बहुत बार यौन शोषण का सामना करना पड़ता है। यह

शोषण उन्हें अपनी आवश्यताओं की सम्यक् पूर्ति न हो पाने की स्थिति में जब उनके पास अन्य कोई साधन नही रह जाता तब सहन करना पड़ता है। अत्यन्त शर्मनाक स्थिति होने के बावजूद उनके पास अन्य कोई विकल्प नहीं बचता है।

सम्बन्धित तथ्य यह दर्शाते हैं कि 55.67 प्रतिशत महिलाएँ यौन शोषण स्वीकार रकती हैं। 28.33 प्रतिशत महिलाएँ इस सन्दर्भ में अपने नकारात्मक विचार प्रस्तुत करती हैं और 16.00 प्रतिशत महिलाएँ इस सन्दर्भ में कहती हैं कि 'मैं नहीं जानती'। मलिन बस्ती में महिलाओं से इन तथ्यों को जानना आसान नहीं था, किन्तु साक्षात्कार के दौरान उनका विश्वास अर्जित करके उनसे इन तथ्यों के विषय में जानकारी प्राप्त की गयी। आस–पास के दूसरे अन्य लोगों ने भी इस बात की पुष्टि की कि भूखमरी की स्थिति आने पर महिलाओं का यौन शोशण बहुतायत से होता है। 'मैं नहीं जानती' कहने वाली सर्वाधिक महिलाओं का यह कथन स्वतः ही एक ऐसा प्रमाणित संदेह उत्पन्न करता है, जिसका आशय स्वतः ही स्पष्ट है कि समय के अनुसार महिलाएँ यौनिक रूप से शोषित होती रहती हैं और इस समस्या के एक बार प्रारम्भ हो जाने पर दूर–दर तक इसका कोई समाधान नज़र नहीं आता।

सारिणी संख्या – 5.6

महिलाओं में यौनिक विषमता उनके शौषण का आधार बनती हैं

यौनिक विषमता द्वारा शोषण	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	167	55.67
नहीं	85	28.33
मैं नहीं जानती	48	16.00
योग	300	100.00

यौन शोषण का प्रारुप –किसी भी छोटे अथवा बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए महिलाओं का यौनिक शोषण आज एक सामान्य बात हो गयी है। विशेषकर उन समाजों में जहाँ जीवन के मूल्य सामाजिक प्रतिमान आदि के बंधन शिथिल होते हैं। कहीं परिस्थिति के सामने घुटने टेकने के कारण तो कहीं अभिवृत्ति के अनुसार महिलाएँ यौनिक शोषण का शिकार हो रही हैं।

तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 1.67 प्रतिशत महिलाओं के साथ बलात्कार हुए हैं जिसकी पुष्टि उन्होंने कम और अन्यों ने जयादा की है। 4.00 प्रतिशत महिलाएँ अन्य कई कारणों से यौनिक शोषण का शिकार हुई हैं। 8.00 प्रतिशत महिलाएँ अपने शारीरिक सौन्दर्य का उपयोग करके विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त कर लेती हैं। 32.33 प्रतिशत महिलाएँ अपने सौन्दर्य और यदा–कदा अपने 'नारी कटाक्षो' की आड़ में पुरुषों की कमजोरियों का फायदा उठा करके अपने जीवन की प्रतिदिन की आवश्यक आवश्यकताओं को पूर्ण कर पाती हैं तथा 54.00 प्रतिशत की सर्वाधिक महिलाओं को यौन सम्बन्धी अपराधजन्य क्रियाकलापों में सहगामी बना करके विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ण कराया जाता है। साक्षत्कार

के दौरान यह पाया गया कि इस प्रकार के कृत्य मलिन बस्तियों की दिनचर्या बन गये हैं। महिलाएँ कहीं यौनिक रूप से शोषित की जा रही हैं तो कहीं वे स्वयं भी ऐसे कुछ छोटे–मोटे कृत्य करने के लिए सहर्ष तैयार हो जाती हैं, क्योंकि उनके किसी एक मधुर कटाक्ष से यदि उनका कोई छोटा उद्देश्य भी पूर्ण हो जाता है तो उनका तत्कालीन स्वार्थ पूर्ण हो जाता है। इस परिदृश्य को देखकर यह कहा जा सकता है कि जहाँ जीवन अस्तित्व को बचाये रखने का प्रश्न हो, वहाँ जीवन के मानक और मूल्य शून्यप्राय हो जाते हैं।

सारिणी संख्या – 5.7

महिलाओं के यौनिक शोषण का प्रारूप

शोषण का प्रारूप	आवृत्ति	प्रतिशत
उनका बलात्कार करके	5	1.67
उनको यौन संबंधी अपराधजन्य क्रियाकलापों में सहगामी बना करके	162	54.00
उनके शारीरिक सौन्दर्य का उपयोग करके	24	8.00
पुरुषों की कमजोरियों का महिलाओं के सौन्दर्य की की आड़ में लाभ उठा करके	97	32.00
अन्य	12	4.00
योग	300	100.00

उपरोक्त सारिणी को उत्तरदाताओं के मासिक आय के साथ अर्न्तसबन्धित करके देखने का भी प्रयास किया गया है जिसमें आंकड़ें यह स्पश्ट करते है। कि अध्ययन में यौनिक षोशण के प्रारुप में 5 उत्तरदाता बलात्कार के षिकार हैं जिसमें 1000 रुपये से कम मासिक आय के 3 उत्तरदाता हैं, तथा 1000–2000 रुपये के मध्य मासिक आय के 2 उत्तरदाता हैं। अध्ययन में यौनिक षोशण के प्रारूप में 162 उत्तरदाता यौन संबंधी क्रिया–कलापों में सहगामी बना करकें हैं जिसमें 10 उत्तरदाता 1000 रुपये से कम मासिक आय के हैं, 111 उत्तरदाता 1000–2000 रुपये के मध्य मासिक आय के हैं। 20 उत्तरदाता 2000–3000 रुपये के मध्य मासिक आय के हैं। 21 उत्तरदाता 3000 रुपये से अधिक मासिक

सारिणी संख्या – 5.8

यौनिक शोषण का प्रारुप एवं मासिक आय

यौनिक शोषण का प्रारूप	1000 से कम	1000–2000	2000–3000	3000 से ऊपर	योग / प्रतिशत
बलात्कार करके	3	02	–	–	05 (1.67)
यौन संबंधी क्रियाकलापों से सहगामी बना करके	10	111	20	21	162 (54.00)
शारीरिक सौन्दर्य का उपयोग करके	12	8	4	–	24 (8.00)
पुरुषों की कमजोरियों का महिलाओं की सौन्दर्य की आड़ में लाभ उठा करके	6	20	48	23	97 (32.33)
अन्य	2	2	–	8	12 (4.00)
योग (प्रतिशत)	33	143 (47.67)	72 (24.00)	52 (17.33)	300 (100.00)

$X_2 = 113.983$ df = 6

5% सार्थकता स्तर पर सारिणी मूल्य = 21.026

परिगणित मूल्य > सारिणी मूल्य। अतः चारों में सार्थक सम्बन्ध है।

आय के हैं अध्ययन में षोशण के प्रारुप में 24 उत्तरदाता षारीरिक सौन्दर्य का उपयोग करके हैं जिसमें 1000 रुपये से कम मासिक आय के 12 उत्तरदाता हैं। 1000–2000 रुपये के मध्य मासिक आय के 8 उत्तरदाता हैं। 2000–3000 रुपये के मध्य मासिक आय के 4 उत्तरदाता हैं। अध्ययन में षोशण के प्रारूप में 97 उत्तरदाता पुरुशों की कमजोरियों का महिलाओं की सौन्दर्य की आड़ में लाभ उठा करके हैं जिसमें 6 उत्तरदाता 1000 रुपये से कम मासिक आय के हैं। अध्ययन में अन्य दृश्टिकोण के 12 उत्तरदाता हैं जिसमें 2 उत्तरदाता 1000 रुपये से कम मासिक आय के हैं, 2 उत्तरदाता 1000–2000 रुपये के मध्यम मासिक आय के हैं तथा 8 उत्तरदाता 3000 रुपये से अधिक मासिक आय के हैं जो शोषण प्रारुप को अन्य दृष्टिकोण से देखते हैं।

निष्कर्ष :– अध्ययन से प्राप्त तथ्यों से निश्कर्श निकलता है कि गन्दी बस्ती की महिलाएँ विवश होकर अपराध कार्यों में संलग्न है। उनके समय निर्धनता एवं बेकारी की भीषण समस्या है। वह तम्बु खड़ा करके झोपड़ी में निवास करती हैं, जहाँ चारों तरफ गंदगी ही गंदगी होती है। वे नारकीय जीवन व्यतीत कर रही हैं। उन्हें रोटी के लिए यौन अपराध में संलग्न होना पड़ रहा है। इसके लिए पुरुश वर्ग उत्तरदायी हैं। रोजगार की कमी के कारण वे अपराध को व्यवसाय मानने लगी हैं। मलिन बस्तियों के महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है, उनके षारीरिक सौन्दर्य का गलत उपयोग किया जाता है। इन सारी बातों से नैतिक पतन को प्रोत्साहन मिलता है, फलतः महिलाएँ अपराध की ओर अग्रसर होती है।

संदर्भ सूची

1 देसाई, ए०आर० एवं पिल्लई, पी०डी० (1972) : ए प्रोफाइल ऑफ ऐन इंडिया स्लम, पोपुलर प्रकाषन, बम्बे ।

2 देसाई, ए०आर० 1990) : स्लम्स एण्ड अरबनाईजेषन, पोपुलर प्रकाषन बम्बे ।

3 फोर्ड, जेम्स (1936) : स्लम्स एण्ड हाउसिंग, हिस्ट्री, कन्डीषन्स, पॉलिसी, हारवार्ड यूनिवर्सिटी प्रेस कैम्ब्रिज ।

4 हन्टर, डी०ए० (1964) : दि स्लम्स, चाइलेंज एण्ड रेसपोन्स, दि फ्रि प्रेस ऑफ गलेनकोई, लंदन ।